(7)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी, मसूदा, जिला अजमेर

पीठासीन अधिकारी सुरेश चावला(RAS)

राजस्व वाद संख्या–52/2009

1. नारायण वल्द गोपी जाति गुर्जर आयु 40 साल
2. गणपत वल्द गोपी जाति गुर्जर आयु 38 साल
3. दुदा वल्द गोपी जाति गुर्जर आयु 36 साल
4. ईश्वर वल्द गोपी जाति गुर्जर आयु 34 साल
5. श्रीमती पांची बेवा गोपी जाति गुर्जर आयु 65 साल

समस्त निवासीयान गांव शेरगढ तहसील मसूदा जिला अजमेर राजस्थान .....वादीगण

बनाम

1. भंवरलाल वल्द सुवाजी खटीक जाति खटीक निवासी शेरगढ तहसील मसूदा जिला अजमेर
2. राजस्थान सरकार जरिये भू धारक तहसीलदार मसूदा .....प्रतिवादीगण

आदेश

इस प्रार्थना पत्र में प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 ने साराशतः निवेदन किया है कि यह प्रकरण आबादी भूमि को लेकर पेश किया गया है जिसका क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय का नही बनता। वादी ने विवादित आराजी ख0 न0 3123 को बताया है जबकि मौके अनुसार विवादित आराजी ख0 न0 3028 में स्थित है जो ग्राम पंचायत शेरगढ की आबादी भूमि है जिसका रक्बा 11–08–10 बीघा है। जिसमें वादीगण का कोई हक हिस्सा व अधिकार नही है। अतः गत 80 वर्षो से भी अधिक समय से प्रतिवादी संख्या 1 के पुश्तैनी कब्जे उपभोग में चली आती है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाद खारिज किया जावे।

जवाब प्रार्थना पत्र में वादीगण ने कथन किये है कि आवेदक को विवादित आराजी बाबत् पूर्ण व प्रयाप्त जानकारी नही है यह वादीगण की खातेदारी की भूमि है। इस प्रार्थना पत्र को तय करते समय न्यायालय को वाद में अंकित कथनों को ही देखा जाना है न कि अन्य कथनों अथवा सबूतों को। प्रस्तुत वाद पर सुनवाई का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय का ही है। प्रतिवादी अपने स्वार्थ के लिए विवादित आराजी ख0 न0 3123 की अपेक्षा 3028 को बता रहा है जो गलत है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जावे।

प्रार्थना पत्र पर तर्क वितर्क विद्वान अभिभाषकगण उभयपक्षान सुने गये। वादी द्वारा प्रस्तुत ग्राम शेरगढ की जमाबंदी 2058 से 2061 के खाता संख्या 270 में विवादित आराजी 3123 एवं 3104 वादीगण की खातेदारी में है जो नक्शा ट्रेस अनुसार क्रमशः पाल एवं खेत है। इस पाल से लगायत ग्राम पंचायत शेरगढ की आबादी ख0 न0 3028 स्थित है। वादी पाल पर प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अतिक्रमण बाबत् यह वाद घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के लिए लाया है। जबकि अभिलेख की स्थित अनुसार मामला आबादी भूमि व पाल की भूमियां के सीमांकन बनता है। प्रथम दृष्टिया विवादित आराजी जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 काबिज है वह आबादी में होना पाया जाता है। वादीगण गलत कथन करके यह वाद लाए है। मामला वाद कथन से ही आबादी भूमि एवं पाल विवाद को लेकर है जो सीमांकन से संबधित है और वादीगण घोषणा अधिकार एवं स्थाई निषेधाज्ञा के ले आए है जो चलने योग्य नही है अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी/ प्रतिवादी संख्या 1 स्वीकार किया जाता है और आदेश दिये जाते है कि–

आदेश

वादीगण द्वारा ग्राम शेरगढ तहसील मसूदा स्थित आराजी ख0 न0 3123 गै0 मु0 पाल जिसमें वे पूर्व से ही स्वयं खातेदार है उसमें घोषणा अधिकार खातेदार एवं स्थाई निषेधाज्ञा के लिए लाया गया यह वाद सव्यय निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 11.02.2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुरेश चावला)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, मसूदा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2020.03.03 16:56:40 IST
Reason: SelfAttested